



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

18 वैशाख 1941 (श0)
(सं0 पटना 597) पटना, बुधवार, 8 मई 2019

okf.kT ;&d j foHkx

vf/k l puk
8 eb. 2019

एस०ओ०. 211, दिनांक 8 मई 2019— बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल बिहार माल और सेवा कर नियमावली, 2017 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, यथा:-

1. (1) यह नियमावली बिहार माल और सेवा कर (तीसरा संशोधन) नियमावली, 2019 कही जा सकेगी।

(2) ये नियम दिनांक 23, अप्रैल, 2019 के प्रभाव से प्रवृत्त होंगे।

2. बिहार माल और सेवा कर नियम, 2017 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 23 के उपनियम (1) के पहले परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:-

“परंतु यह और कि रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के आदेश से रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के प्रतिसंहरण की तारीख तक की अवधि के लिए बकाया सभी विवरणियां उक्त व्यक्ति द्वारा रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के प्रतिसंहरण की तारीख से 30 दिनों की अवधि के भीतर प्रस्तुत की जाएगी:

परंतु यह भी कि जहां रजिस्ट्रीकरण भूतलक्षी प्रभाव से रद्द किया गया है वहां रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण की प्रभावी तारीख से रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण

के प्रतिसंहरण की तारीख तक की अवधि से संबंधित सभी विवरणियां रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के प्रतिसंहरण की तारीख से 30 दिनों की अवधि के भीतर प्रस्तुत करेगा।”।

3. उक्त नियमों के नियम 62 में, --

(क) पार्श्वशीर्ष में शब्दों “समिश्र प्रदायकर्ता द्वारा त्रैमासिक विवरणियों को प्रस्तुत करने का प्ररूप और रीति” के स्थान पर “विवरण और विवरणी को प्रस्तुत करने का प्ररूप और रीति” शब्द रखे जाएंगे;

(ख) उप नियम (1), --

(i) “धारा 10 के अधीन कर का संदाय” शब्दों और अंकों से आरंभ होने वाले के तथा “प्ररूप जीएसटीआर-4” अक्षरों और अंकों से समाप्त होने वाले भाग के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

“धारा 10 के अधीन कर का संदाय करने वाला या वाणिज्य-कर विभाग की अधिसूचना संख्या 2/2019-राज्य कर (दर), दिनांक 7 मार्च, 2019, जिसे बिहार गजट असाधारण अंक संख्या-340, दिनांक 7 मार्च, 2019 द्वारा प्रकाशित किया गया था, का लाभ प्राप्त करते हुए कर का संदाय करने वाला-

(i) किसी तिमाही या यथास्थिति उसके भाग के लिए, ऐसी तिमाही के उत्तरवर्ती मास के 18वें दिन तक प्ररूप जीएसटी सीएमपी-08 में स्व-निर्धारित कर के संदाय के ब्यौरे अंतर्विष्ट करते हुए विवरण इलैक्ट्रॉनिकी रूप में या सीधे या आयुक्त द्वारा अधिसूचित किसी सुविधा केंद्र के माध्यम से प्रस्तुत करेगा।

(ii) प्रत्येक वित्तीय वर्ष या यथास्थिति उसके भाग के लिए, ऐसे वित्तीय वर्ष की समाप्ति के आगामी अप्रैल माह के तीसवें दिन तक प्ररूप जीएसटीआर-4 में विवरणी इलैक्ट्रॉनिकी रूप में या सीधे या आयुक्त द्वारा अधिसूचित किसी सुविधा केंद्र के माध्यम से प्रस्तुत करेगा”;

(ii) परंतुक का लोप किया जाएगा ।

(ग) उपनियम (2) में “अधीन विवरणी” से शब्दों से प्रारंभ होने वाले और “कर, ब्याज” शब्दों से समाप्त होने वाले भाग के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

“विवरण प्रस्तुत करने वाला प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति कर या ब्याज”

(घ) उपनियम (4) में, --

(i) शब्दों और अंकों “धारा 10 के अधीन संदाय करने का विकल्प लिया है” के पश्चात् “या वाणिज्य-कर विभाग की अधिसूचना संख्या 2/2019-राज्य कर (दर), दिनांक 7 मार्च, 2019, जिसे बिहार गजट असाधारण अंक संख्या-340, दिनांक 7 मार्च, 2019 द्वारा प्रकाशित किया गया था, का लाभ प्राप्त किया है” शब्द, अक्षर, अंक और कोष्ठक अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(ii) स्पष्टीकरण में, शब्दों “समिश्र स्कीम का विकल्प लेने” के पश्चात् “या वाणिज्य-कर विभाग की अधिसूचना संख्या 2/2019-राज्य कर (दर), दिनांक 7 मार्च, 2019, जिसे बिहार गजट असाधारण अंक संख्या-340, दिनांक 7 मार्च,

														वित्तीय वर्ष					
														तिमाही					
1.	जीएसटीआईएन																		
2.	(क)	विधिक नाम		<स्वत:>															
	(ख)	व्यापार नाम		<स्वत:>															
	(ग)	एआरएन		< स्वत:> (फाइल करने के पश्चात्)															
	(घ)	फाइल करने की तारीख		< स्वत:> (फाइल करने के पश्चात्)															

3. स्व:निर्धारित दायित्व का सारांश

(कुल अग्रिम, जमा और विकलन टिप्पण और संशोधन आदि के कारण कोई अन्य समायोजन)

(सभी सारणियों में रुपयों में रकम)

क्र. सं.	विवरण	मूल्य	एकीकृत कर	केंद्रीय कर	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र कर	सेस
1	2	3	4	5	6	7
1.	जावक पूर्ति (छूट प्राप्त पूर्ति को सम्मिलित करते हुए)					
2.	आवक पूर्ति सेवाओं के आयात को सम्मिलित करते हुए आरक्षित भार को आकर्षित करते हुए आवक पूर्ति					
3.	संदेय कर (1+2)					
4.	संदेय ब्याज, यदि कोई हो					
5.	संदेय कर और ब्याज					

4. सत्यापन

मैं सत्यनिष्ठ प्रतिज्ञान करता हूं और घोषणा करता हूं कि उपरोक्त दी गई सूचना मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है तथा इसमें कुछ भी छुपाया नहीं गया है।

हस्ताक्षर

स्थान :

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम

तारीख:

पदनाम/प्रास्थिति

अनुदेश :

1. बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 10 के उपबंधों के अधीन या वाणिज्य-कर विभाग की अधिसूचना संख्या 2/2019-राज्य कर (दर), दिनांक 7 मार्च, 2019, जिसे बिहार गजट असाधारण अंक संख्या-340, दिनांक 7 मार्च, 2019 द्वारा प्रकाशित किया गया था, का लाभ प्राप्त करते हुए कर का संदाय करने वाला करदाता, सम्यक तारीख तक तिमाही आधार पर कर का संदाय करेगा।
2. अग्रिम, जमा/विकलन टिप्पण या सुधार के लेखें समायोजन दायित्व के विरुद्ध रिपोर्ट की जाएगी।
3. नकारात्मक मूल्य की ऐसे रिपोर्ट की जाएगी कि ऐसा मूल्य समायोजन के पश्चात् आया है।
4. यदि कुल संदेय कर नकारात्मक हो गया है, तब उसे अगली कर अवधि के लिए, उस अवधि में उसका उपयोग करने के लिए अग्रणीत किया जाएगा।
5. यदि संदाय सम्यक तारीख के पश्चात् किया जाता है तो ब्याज उद्ग्रहणीय होगा।
6. 'शून्य' विवरण दाखिल किया जाएगा यदि तिमाही के दौरान कोई कर देयता बकाया नहीं है

5. उक्त नियमों के प्ररूप जीएसटी आरईजी-01 के अनुदेश सं. 16 के पश्चात् निम्नलिखित अनुदेश अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“17. करदाता जो यथासंशोधित वाणिज्य-कर विभाग की अधिसूचना संख्या 2/2019-राज्य कर (दर), दिनांक 7 मार्च, 2019, जिसे बिहार गजट असाधारण अंक संख्या-340, दिनांक 7 मार्च, 2019 द्वारा प्रकाशित किया गया था, का लाभ प्राप्त करते हुए कर का संदाय करना चाहते हैं वे इस प्ररूप के क्रम सं. 5 और 6.1 (iii) पर ऐसा विकल्प उपदर्शित करेंगे।”

[(सं० बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017 (खंड-6)—1432)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

डॉ० प्रतिमा,

राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव।

8 मई 2019

एस०ओ०. 211, दिनांक 8 मई 2019 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाय।

[(सं० बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017 (खंड-6)—1432)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

डॉ० प्रतिमा,

राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव।

The 8th May 2019

S.O. 211 dated 8th May 2019--- In exercise of the powers conferred by section 164 of the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Governor of Bihar hereby makes the following rules further to amend the Bihar Goods and Services Tax Rules, 2017, namely:-

1. (1) These rules may be called the Bihar Goods and Services Tax (Third Amendment) Rules, 2019.

(2) They shall come into force with effect from 23rd April, 2019.

2. In the Bihar Goods and Services Tax Rules, 2017 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 23, in sub-rule (1), after the first proviso, the following provisos shall be inserted, namely:-

“Provided further that all returns due for the period from the date of the order of cancellation of registration till the date of the order of revocation of cancellation of registration shall be furnished by the said person within a period of thirty days from the date of order of revocation of cancellation of registration:

Provided also that where the registration has been cancelled with retrospective effect, the registered person shall furnish all returns relating to period from the effective date of cancellation of registration till the date of order of revocation of cancellation of registration within a period of thirty days from the date of order of revocation of cancellation of registration.”.

3. In the said rules, in rule 62,-

a) in the marginal heading, for the words “Form and manner of submission of quarterly return by the composition supplier”, the words “Form and manner of submission of statement and return” shall be substituted;

b) in sub-rule (1), -

(i) for the portion beginning with the words and figures “paying tax under section 10” and ending with letters and figures “**FORM GSTR-4**”, the following shall be substituted, namely:-

“paying tax under section 10 or paying tax by availing the benefit of Commercial Taxes Department notification No.2/2019- State Tax

(Rate), dated the 7th March, 2019 published in the Bihar Gazette vide number 340, dated the 7th March, 2019 shall-

- (i) furnish a statement, every quarter or, as the case may be, part thereof, containing the details of payment of self-assessed tax in **FORM GST CMP-08**, till the 18th day of the month succeeding such quarter; and
- (ii) furnish a return for every financial year or, as the case may be, part thereof in **FORM GSTR-4**, till the thirtieth day of April following the end of such financial year,”;
- (ii) the proviso shall be omitted;
- c) in sub-rule (2), for the portion beginning with the words “return under” and ending with the words “other amount”, the following shall be substituted, namely:-
“statement under sub-rule (1) shall discharge his liability towards tax or interest”;
- d) in sub-rule (4),-
 - (i) after the words and figures “opted to pay tax under section 10” the words, letters, figures and brackets “or by availing the benefit of Commercial Taxes Department notification No.2/2019- State Tax (Rate), dated the 7th March, 2019 published in the Bihar Gazette vide number 340, dated the 7th March, 2019” shall be inserted;
 - (ii) in the Explanation,-
 - (A) after the words “not be eligible to avail”, the word “of” shall be omitted;
 - (B) after the words “opting for the composition scheme”, the words, letters, figures and brackets “or opting for paying tax by availing the benefit of Commercial Taxes Department notification No.2/2019- State Tax (Rate), dated the 7th March, 2019 published in the Bihar Gazette vide number 340, dated the 7th March, 2019” shall be inserted;
- e) in sub-rule (5), for the words, figures and letters “the details relating to the period prior to his opting for payment of tax under section 9 in **FORM GSTR- 4** till the due date of furnishing the return for the quarter ending September of the succeeding financial year or furnishing of annual return of the preceding financial year, whichever is earlier”, the words, letters and figures “a statement in **FORM GST CMP-08** for the period for which he has paid tax under the composition scheme till the 18th day of the month succeeding the quarter in which the date of withdrawal falls and furnish a return in **FORM GSTR-4** for the said period till the thirtieth day of April following the end of the financial year during which such withdrawal falls” shall be substituted;

- f) after sub-rule (5), the following sub-rule shall be inserted, namely:-
 “(6) A registered person who ceases to avail the benefit of Commercial Taxes Department notification No.2/2019- State Tax (Rate), dated the 7th March, 2019 published in the Bihar Gazette vide number 340, dated the 7th March, 2019, shall, where required, furnish a statement in **FORM GST CMP-08** for the period for which he has paid tax by availing the benefit under the said notification till the 18th day of the month succeeding the quarter in which the date of cessation takes place and furnish a return in **FORM GSTR - 4** for the said period till the thirtieth day of April following the end of the financial year during which such cessation happens.”.

4. In the said rules, after **FORM GST CMP-07**, the following form shall be inserted, namely:-

“Form GST CMP - 08

[See rule 62]

Statement for payment of self-assessed tax

										Financial Year					
										Quarter					
1.	GSTIN														
2.	(a)	Legal name	<Auto>												
	(b)	Trade name	<Auto>												
	(c)	ARN	<Auto> (After filing)												
	(d)	Date of filing	<Auto> (After filing)												

3. Summary of self-assessed liability

(net of advances, credit and debit notes and any other adjustment due to amendments etc.)

(Amount in ₹ in all tables)

Sr. No.	Description	Value	Integrated tax	Central tax	State/ UT tax	Cess
1	2	3	4	5	6	7
1.	Outward supplies (including exempt supplies)					
2.	Inward supplies attracting reverse charge including import of services					
3.	Tax payable (1+2)					
4.	Interest payable, if any					
5.	Tax and interest paid					

4. Verification

I hereby solemnly affirm and declare that the information given herein above is true and correct to the best of my knowledge and belief and nothing has been concealed therefrom.

Signature

Place :

Name of Authorised Signatory

Date:

Designation/Status

Instructions:

1. The taxpayer paying tax under the provisions of section 10 of the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017 or by availing the benefit of Commercial Taxes Department notification No.2/2019- State Tax (Rate), dated the 7th March, 2019 published in the Bihar Gazette vide number 340, dated the 7th March, 2019 shall make payment of tax on quarterly basis by the due date.
2. Adjustment on account of advances, credit/debit notes or rectifications shall be reported against the liability.
3. Negative value may be reported as such if such value comes after adjustment.
4. If the total tax payable becomes negative, then the same shall be carried forward to the next tax period for utilising the same in that tax period.
5. Interest shall be leviable if payment is made after the due date.
6. 'Nil' Statement shall be filed if there is no tax liability due during the quarter."

5. In the said rules, in **FORM GST REG-01**, after instruction number 16, the following instruction shall be inserted, namely:-

"17. Taxpayers who want to pay tax by availing benefit of Commercial Taxes Department notification No.2/2019- State Tax (Rate), dated the 7th March, 2019 published in the Bihar Gazette vide number 340, dated the 7th March, 2019 as amended, shall indicate such option at serial no. 5 and 6.1(iii) of this Form."

[(File No. Bikri kar/GST/vividh-21/2017 (Part-6)---1432)]

By the order of Governor of Bihar,

Dr. Pratima,

Commissioner State Tax-cum-Secretary.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 597-571+10 डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>